14.3 प्रतिशत तक घट सकता है राज्यों का जीडीपी

कोरोनावायरस महामारी के प्रसार को थामने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में दिख सकता है। इस दौरान आर्थिक गतिविधियों के थमने की वजह से राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 14.3 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च की सोमवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि असम, गोवा, गुजरात और सिक्किम जैसे राज्यों में जीएसडीपी की गिरावट दहाई अंक में रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2020- 21 में राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में गिरावट रहेगी। यह गिरावट 1.4 प्रतिशत से लेकर 14.3 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है।'

इसमें कहा गया है कि कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा इन पांच राज्यों सकल घरेलू उत्पाद पर लॉकडाउन का सबसे गहरा असर दिख सकता है। *भाषा*

यूरो एशिया एक्सपोटर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 3–ए, पहली मंज़िल, बीएलके–X लोहा मंडी, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली – 110028
निगमित कार्यालयः दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. बी–103, साउथ सिटी I, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
CIN No.: L51909DL1981PLC012621, Email : info@euroasiaexportsltd.com

31.03.2020 को समाप्त चौथी तिमाही व वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि रूपए में, लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2020 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2019 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2020 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2019 अंकेक्षित
I	प्रचालनों से राजस्व	2.36	3.96	335.46	81.09	417.64
II	अन्य आय	30.78	0.02	(0.15)	31.45	0.80
III	कुल आय (I+II)	33.14	3.98	335.31	112.54	418.44
IV	व्यय					
	(ए) उपयोग सामग्री की कीमत	-	-	-	-	-
	(बी) स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	6.51	7.12	300.07	79.18	374.21
	(सी) तैयार माल, प्रगति में कार्य व स्टॉक–इन–ट्रेड की इनवेंटरीज में परिवर्तन	7.12	(7.12)	-	-	-
	(डी) कर्मचार लाभ व्यय	1.80	1.85	1.02	6.55	3.52
	(ई) वित्त लागत	-	-	-	-	-
	(एफ) मूल्य ह्रास और नोटबंदी व्यय	-	-	-	-	-
	(जी) अन्य व्यय	8.30	6.03	21.46	27.75	38.99
	कुल व्यय	23.73	7.88	322.55	113.48	416.72
V	असाधारण से पहले लाभ व कर (III-IV)	9.41	(3.90)	12.76	(0.94)	1.72
VI	असाधारण मदें		-			-
VII	कर से पहले लाभ (V – VI)	9.41	(3.90)	12.76	(0.94)	1.72
VIII	कर व्यय :		0.55		-	0.55
	(1) वर्तमान कर	-	-	0.45	-	0.45
	(2) पूर्व अवधि कर	-	-	0.10	-	0.10
	(3) डेफरड कर	-	-	-	-	0.00
IX	जारी प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ(हानि)(VII-VIII)	9.41	(3.90)	12.21	(0.94)	1.17
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय	-	-	-	-	-
XII	बंद पचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद)(X-XI)	-	-	-	-	-
XIII	अवधि के लिए लाभ(हानि) (IX + XII)	9.41	(3.90)	12.21	(0.94)	1.17
XIV	अन्य समग्र आय					
	ए. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया		-			-
	(ii) मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया		-			-
	बी. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया गया		-			-
	(ii) मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया		-			-
XV	अवधि के लिए कुल समग्र आय (XIII+XIV) अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य समग्र आय	9.41	(3.90)	12.21	(0.94)	1.17
XVI	आय प्रति इक्विटी शेयर (जारी प्रचालनों के लिए):					
	बेसिक (रु.)	0.40	(0.25)	0.78	-	0.07
	डायल्यूडिट (रु.)	0.40	(0.25)	0.78	-	0.07
XVII	आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद प्रचालनों के लिए):					
	बेसिक (रु.)	-	-	-		-
	डायल्यूडिट (रु.)	-	-	-		-
XVIII	आय प्रति इक्विटी शेयर (जारी व बंद प्रचालनों के लिए)					
	बेसिक (रु.)	0.40	(0.25)	0.78	-	0.07
	डायल्यूडिट (रु.)	0.40	(0.25)	0.78	-	0.07

नोट्स :

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त 04 तिमाही व वर्ष के लिए उक्त परिणाम कंपनी के वित्तीय परिणामों की तैयारी के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनीज (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार 29 जून, 2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
2. उक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा की गई है और 29 जून 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं।
3. सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2019–20 की 04 तिमाही व वर्ष के वित्तीय परिणामों के लिए सीमित समीक्षा रिपोर्ट कंपनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा तैयार की गई है।
4. कोविड 19 महामारी के चलते और 23 मार्च 2020 से लागू लॉकडाउन के परिणामस्वरूप कंपनी का नियमित प्रचालन प्रभावित हुआ है। उपयुक्त अनुमति लेने और कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बाद ही अनिवार्य सेवाओं में व्यापार को करने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान केवल सीमित प्रचालन चल रहा है। कंपनी सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार चरणबद्ध तरीके में इसका सामान्य प्रचालना कर रही है। कंपनी ने इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक आंतरिक व बाहरी जानकारी पर विचार किया है और माना है कि इसकी परिसंपत्तियों की ले जाने वाली राशि की कमी नहीं होगी, वसूल किया जाएगा। हालांकि इसकी प्रकृति और अवधि के संबंध में शामिल परिदृश्य और अनिश्चिताएं दी गई हैं। प्रबंधन भावी आर्थिक परिस्थितियों और कंपनी पर इसके प्रभाव के लिए किसी सामग्री में परिवर्तन को मॉनिटर करना जारी रखेगा।
5. कंपनी का प्रचालन एकल खंड के अनुसार है, अतः भारतीय लेखा मानक 17 में परिभाषित अनुसार खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
6. पूर्व वर्ष/तिमाही के आंकडें जहां आवश्यक हैं, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ए. सचदेव एंड कंपनी
चार्टर्डेड एकाउंटेंट्स एफआरएनः 001307सी
बी के अग्रवाल
पार्टनर
एम नं. 090771

यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए व उन्हीं की ओर से

हस्ता./–
गगन गोयल
निदेशक
डीआईएनः 07166489

हस्ता./–
राकेश कुमार सिंगल
प्रबंधक निदेशक
डीआईएनः 06595136

दिनांकः 29.06.2020
स्थानः नई दिल्ली

डीजल के बढ़े दाम से मालभाड़े में तेजी

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 29 जून

मालभाड़े में कुछ महीनों की सुस्ती के बाद प्रमुख ट्रंक मार्गों पर ढुलाई की दरों में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसकी प्रमुख वजह पिछले कुछ दिनों में डीजल के दाम में तेज बढ़ोतरी है।

इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ ढुलाई की दरें देशबंदी के पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं।

डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा रिश्ता माल ढुलाई की दरों से है। ट्रांसपोर्टरों के परिचालन के कुल खर्च में डीजल पर आने वाली लागत 65 प्रतिशत से ज्यादा होती है।

दिल्ली में 26 जून को पेट्रोल व डीजल के दाम में क्रमशः 27 पैसे और 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दोनों के दाम 80 रुपये के पार पहुंच गए।

आईएफटीआरटी के सीनियर फेलो एसपी सिंह ने कहा, 'कुछ मार्गों पर मांग ज्यादा है और ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी 20 प्रतिशत से ज्यादा हुई है।'

सिंह ने कहा, 'विनिर्माता अफरातफरी की स्थिति में हैं क्योंकि वे भंडार जमा करना नहीं चाहते और ढुलाई के लिए ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। पहले वे लॉकडाउन के कारण उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद वे अब मांग को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं। अब मांग धीरे धीरे बढ़ रही है और वे नहीं चाहते हैं कि तैयार माल का ढेर जमा हो जाए। ऐसे में वे बढ़े मालभाड़े को लेकर शिकायत नहीं कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी किराया बढ़ाने का एक मौका लेकर आया है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा क्योंकि मूल्य श्रृंखला में हर कोई बढ़ी लागत का बोझ ग्राहकों पर पड़ने वाली लागत पर डालेगा।

आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) की प्रमुख समिति के चेयरमैन बलमलकित सिंह ने कहा, 'इसका (डीजल के दाम में बढ़ोतरी) किसी को लाभ नहीं होने जा रहा है। न तो ट्रांसपोर्टरों को, न ट्रांसपोर्ट सेवा इस्तेमाल करने वालों के।'

उन्होंने कहा कि महामारी और सुस्त आर्थिक गतिविधियों के कारण ट्रांसपोर्टर पहले से दबाव में चल रहे हैं और उनके पास भाड़ा बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका असर सभी मोटे अनाज और गैर जरूरी व जरूरी सामानों की फर्मों पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा और उन्हें ज्यादा दाम चुकाना होगा।

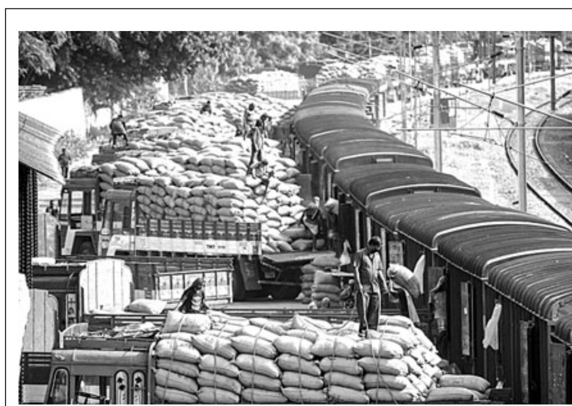

सोमवार को कोयंबटूर में ट्रकों पर गेहूं लादते मजदूर -पीटीआई

18 टन ढुलाई वाले ट्रक का मालभाड़ा

ट्रंक मार्ग	1 मार्च 2020 को मालभाड़ा	1 जून 2020 को मालभाड़ा	26 जून 2020 को मालभाड़ा
दिल्ली-मुंबई-दिल्ली	84,000	88,000	1,05,000
दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली	81,500	85,000	1,00,000
दिल्ली-चेन्नई-दिल्ली	1,11,800	1,19,000	1,36,000
दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली	1,10,600	1,10,000	1,26,000
दिल्ली में डीजल के दाम	66.23	69.43	80.1

प्रति ट्रक माल ढुलाई रुपये में डीजल के दाम रुपये प्रति लीटर में
स्रोतः आईएफआरटी

तेल के बढ़े दाम के खिलाफ कांग्रेस का अभियान

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 29 जून

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि पेट्रोल व डीजल के दाम बार बार बढ़ाकर सरकार मुनाफा कमा रही है और वह लुटेरी बन गई है। उन्होंने सरकार से तेल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार द्वारा मुनाफा कमाने के आरोपों को लेकर बचाव करते हुए कहा कि इसके लिए कांग्रेस शासित राज्य भी बराबर जिम्मेदार हैं। पार्टी के स्पीक अप अभियान के तहत गांधी ने एक वीडियो अपील जारी कर सरकार से करों में कटौती करने और लोगों पर बोझ कम करने को कहा है, जो पहले से ही आर्थिक रूप से संकट में हैं। गांधी ने कहा, 'मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नागरिकों के साथ मांग करती हूं कि इस कठिन दौर में सरकार पेट्रोल व डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस ले।' गांधी ने कहा कि सरकार जनता की परेशानियों को लेकर संवेदनहीन है।

सौर सेल पर शुल्क को लेकर बैठक

वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने सौर सेल के अयात पर रक्षोपाय शुल्क जारी रखने के लिए जांच को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को मौखिक सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई है। मूंदड़ा सोलर पीवी, जूपिटर सोलर पावर और जूपिटर इंटरनेशनल ने इंडिया सोलर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (इसमा) के जरिये इस साल मार्च में रक्षोपाय शुल्क (सेफगार्ड ड्यूटी) की समीक्षा और उसे आगे भी लागू करने के बारे में आवेदन दिए थे। कंपनियों ने घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सौर सेल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क जारी रखने की मांग की है। *भाषा*

मशीनीकरण पर कोल इंडिया ने बढ़ाया निवेश

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 29 जून

कोल इंडिया ने शुरू से अंत तक संपर्क (एफएमसी) परियोजनाओं में अपने निवेश को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इसका कुल निवेश 15,700 करोड़ रुपये हो जाएगा, जिसमें उसके पहले की 35 परियोजनाओं के अलावा 14 अतिरिक्त परियोजनाएं होंगी।

कंपनी पहले से ही 19 परियोजनाओं से मशीनी प्रणाली के जरिये 15.1 करोड़ टन कोयले का परिवहन करती है और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) व सिलोस से कोयले का लदान करती है जो 2023-24 तक चरण 1 की परियोजनाओं के माध्यम से 55.7 करोड़ टन पर पहुंच जाएगी। एक बार अंतिम निर्णय की औपचारिकताएं पूरी होते ही चरण 2 की परियोजनाएं भी अपना योगदान करना शुरू कर देंगी।

परियोजना के चरण 1 के तहत सरकारी क्षेत्र की इस खदान कंपनी ने 12,300 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ अपनी छह सहायक कंपनियों से 35 परियोजनाओं पर काम पूरा किया है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 40 लाख टन की है। इनकी संयुक्त परियोजना क्षमता 40.6 करोड़ टन है।

चरण 2 की परियोजना के तहत 14 अतिरिक्त परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं जिसमें 3,400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनकी क्षमता 10.05 करोड़ टन कोयले के रखरखाव की होगी।

मशीन के जरिये परिवहन और लदान को बढ़ावा देने के लिए निवेश को बढ़ाकर 15,700 करोड़ रुपये करने का फैसला

दूसरे चरण की 14 परियोजनाओं में से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की पांच परियोजनाएं हैं जिनकी सलाना क्षमता 6.25 करोड़ टन है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के पाए एकमात्र परियोजना है जिसकी सालाना क्षमता 2 करोड़ टन की है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास सात परियोजनाएं हैं और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास एक परियोजना है जिसकी सालाना क्षमता क्रमशः 1.4 करोड़ टन और 40 लाख टन की है।

एफएमसी खदान निकास से आपूर्ति बिंदु तक का परिवहन है। इस कदम का लक्ष्य दो बिंदुओं के बीच मौजूदा सड़क परिवहन को समाप्त करना है और वाहक पट्टों के जरिये मशीनी माध्यम से कोयले की बाधारहित परिवहन प्रणाली को अपनाना है। यह कोयले के परिवहन के लिए ढंकी हुई व्यवस्था है, जिससे धूल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। इसमें रेलवे के मालडिब्बों की कंप्यूटर की सहायता से लदान की सुविधा होगी।

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली 1-8020, व्हाइट हाउस, द्वितीय तल, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055
फोन : 011-23610400 ई-मेल : ro108@sib.co.in सीआईएन : एल65191केएल1929पीएलसी0010107

निविदा सह नीलामी बिक्री सूचना

जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक मांग सूचना **RO/DEL/LEG/SAR/31/18-19** दिनांकित **01.09.2018** जारी किया था (1) **मैसर्स एशियन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड**, एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय म्युनिसिपल नंबर 4536/12, प्लॉट नंबर 7/28, वरदान हाउस पार्ट–II, महावीर लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 में स्थित है तथा गारंटर (2) **श्री कमल जगासिया पुत्र मेघ राज** निवासी बी–27, स्वामी नगर, नई दिल्ली–110017, **अन्य पता** : डब्ल्यू–54, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश–II, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली–110048 तथा (3) **श्री अविनाश जगासिया पुत्र कमल जगासिया,** निवासी बी–27, स्वामी नगर, नई दिल्ली–110017 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के तहत अचल सम्पत्तियां, जिनका विस्तृत विवरण यहां नीचे अनुसूची में दिया गया है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक **06–04–2019** को प्राप्त कर लिया है।

और जबकि कर्जदार/सह–आबंधक/गारंटर बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अचल सम्पत्तियां, जिनका विस्तृत विवरण यहां नीचे अनुसूची में दिया गया है, की बिक्री निविदा सह नीलामी द्वारा **"जैसा है जहां है"** तथा **"जैसा है जो भी है"** शर्त पर, यहां नीचे दी गई तिथि व समय पर, **मैसर्स एशियन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड** के खाते में दिनांक **31–05–2020** तक कुल बकाया **रू. 7,44,17,070.54 (रुपये सात करोड़ चवालीस लाख सत्रह हज़ार और सत्तर और पैसे चौवन मात्र)** की पूर्ण राशि दिनांक **01–06–2020** से आगे ब्याज तथा लागतों की वसूली के लिए, निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर की जाएगी :–

सम्पत्ति स्वामी का नाम	**मैसर्स एशियन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड**
सम्पत्ति का वर्णन	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स एशियन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में म्युनिसिपल नंबर 4536/12, प्लॉट नंबर 7/28, वरदान हाउस पार्ट–II, महावीर लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 में से लोअर ग्राउण्ड फ्लोर परिमाप लगभग 3908.74 वर्ग फीट तथा सम्पूर्ण बेसमेंट परिमाप लगभग 3750 वर्ग फीट, जिसका अधिक स्पष्ट वर्णन एसआरओ दिल्ली की सेल डीड नंबर 510/1995 दिनांकित 19–01–1995 (नंबर ए/एलजीएफ), सेल डीड नंबर 595/1995 दिनांकित 23–01–1995 (नंबर बी/एलजीएफ), सेल डीड नंबर 2560/1995 दिनांकित 24–03–1995 (नंबर सी/एलजीएफ), सेल डीड नंबर 4369/1995 दिनांकित 30–04–1995 (नंबर डी/एलजीएफ), सेल डीड नंबर 1659/1997 दिनांकित 18–03–1997 (नंबर ई/एलजीएफ), सेल डीड नंबर 2798/2005 दिनांकित 11–04–2005 (सम्पूर्ण बेसमेंट) क्रमानुसार में दिया गया है तथा निम्नानुसार परिबद्ध है : **उत्तर में** संपत्ति नंबर 8, **पूर्व में** पुरानी शहर की दीवार, **दक्षिण में** सड़क और **पश्चिम में** अन्य की संपत्ति।
सुरक्षित मूल्य	**रू. 6,00,00,000/–(रू. छह करोड़ मात्र)**
धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	**रू. 60,00,000/–(रू. साठ लाख मात्र)**
बिक्री की तिथि और स्थान	**03–08–2020** **द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 1/18–20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055**

नियम और शर्तें

1. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है"** आधार तथा **"जो है जैसा है"** शर्त पर की जाएगी तथा बैंक सम्पत्ति के स्वामित्व, दशा अथवा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य तथ्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में प्रस्तुत विवरण बैंक की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित हैं और बैंक किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
2. प्रस्तावित निविदादाता निविदा बिक्री सूचना, जो बैंक द्वारा इसकी **वेबसाइट (www.southindianbank.com) पर प्रकाशित की गई है तथा नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 1/18–20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 और कनॉट प्लेस शाखा 22 रीगल बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001** में उपलब्ध है, में वर्णित नियम और शर्तों को पढेंगे और समझेंगे और सूचीबद्ध सम्पत्ति को देखकर इसके क्षेत्रफल, सीमाओं इत्यादि, स्वामित्व, शीर्षक, ऋणभार, सांविधिक अनुमोदनों, माप इत्यादि के बारे में अपनी संतुष्टि करेंगे। बैंक बिक्री में भाग लेने के बाद सूचीबद्ध सम्पत्ति अथवा निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार के विवाद को स्वीकार नहीं करेगा।
3. इच्छुक निविदादाताओं को किसी वैध फोटो पहचान/पता प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि निविदादाता प्राधिकार पर भाग ले रहा है, उसको अपना स्वयं का तथा निविदादाता का आईडी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
4. बिक्री के संबंध में देय सभी राशियां, जिसमें ईएमडी शामिल है, "**प्राधिकृत अधिकारी, दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड**" के पक्ष में आहरित तथा नई दिल्ली में देय डीडी द्वारा अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा करोल बाग शाखा में **"सरफासी ऐक्ट के तहत प्राधिकृत अधिकारी"** के नाम में **खाता नंबर "0117073000004456"** (आईएफएस कोड **एसआईबीएल0000117**) को अदा की जाएंगी।
5. इच्छुक निविदादाता ईएमडी हेतु डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस की रसीद, जैसी भी स्थिति है, **साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय 1/18–20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055** में मोहरबंद लिफाफे में निविदा के साथ **03–08–2020** को **पूर्वा. 11.30 बजे** से पूर्व जमा करेंगे।
6. बिक्री के स्थान पर प्रवेश की अनुमति उन निविदादाताओं तक सीमित होगी जो निविदा प्रपत्र तथा ईएमडी एक मोहरबंद लिफाफे में निर्धारित समय सीमा के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकमात्र अपने विवेकानुसार निर्णय की गई समय सीमा के भीतर जमा कर चुके हैं।
7. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी निरस्त/स्थगित करने का अधिकार है। आगे, प्राधिकृत अधिकारी स्वविवेकानुसार पहले प्रस्तुत की जा चुकी किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं तथा बैंक निविदादाताओं से इस संबंध में कोई दावा या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं करेगा।
8. मोहरबंद निविदाएं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **03–08–2020** को **दोपहर 12.00 बजे** खोली जाएंगी। कोई भी निविदा जिसमें सुरक्षित मूल्य से कम ऑफर होगी तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी।
9. निविदाओं के खोले जाने के बाद प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार उपस्थित निविदादाताओं को परस्पर बोलीदान द्वारा अपनी ऑफर का मूल्य बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
10. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25.00 प्रतिशत राशि (ईएमडी घटाकर) उसके पक्ष में बोली स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर तत्काल जमा करनी होगी और शेष 75.00 प्रतिशत राशि बिक्री के 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें विफल होने पर निविदादाता द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि बिना कोई सूचना दिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा बिक्री रद्द कर दी जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। तथापि, वांछनीय मामलों में प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार समय सीमा आगे बढ़ाई जा सकती है।
11. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है, जिसको सफल निविदादाता द्वारा बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा कर चुके होने के बावजूद बिक्री रद्द करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, बिक्री प्रत्याभूत क्रेडिटर द्वारा भी पुष्टि के अधीन है।
12. बिक्री की पुष्टि किए जाने पर तथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूरी बिक्री राशि प्राप्त कर लिए जाने पर, सफल निविदादाता को बैंक और सरफासी अधिनियम के निबंधन और शर्तों के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। सफल निविदादाता द्वारा सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों को सभी मौजूदा देयताओं का भुगतान करना चाहिए, जिसमें बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण हेतु प्रभार/शुल्क जैसेकि पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि, विधिसम्मत लागू अनुसार, सम्मिलित हैं।
13. प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक बिक्री की जा रही सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रभार, ग्रहाणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर अथवा सरकार या किसी निकाय को देय किसी देयता हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
14. सफल निविदादाता को बोली स्वीकार किए जाने के बाद सभी कर/बिजली/जल/सीवरेज प्रभार या किसी प्राधिकरण द्वारा मांगे गए किसी अन्य प्रभार का भुगतान करना चाहिए, भले ही यह पूर्व अवधि से संबंधित हो।
15. सफल निविदादाता बिजली/पानी/सीवरेज कनेक्शन इत्यादि और अन्य सामान्य सेवाएं अपने नाम में अपनी लागत पर अंतरित करवाएगा।
16. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के संबंध में **01–01–1977 से 13–11–2019** तक की अवधि के लिए ईसी/खोज रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है तथा इसमें **कोई ऋणभार नहीं है।**
17. किसी अतिरिक्त जानकारी तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए, इच्छुक निविदादाता **प्राधिकृत अधिकारी**, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय : 1/18–20, द्वितीय तल, व्हाइट हाउस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 अथवा **शाखा प्रबंधक**, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, कनॉट प्लेस शाखा 22 रीगल बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 से कार्य समय में सम्पर्क कर सकते हैं।
18. यह सूचना कर्जदार/सह–आबंधक/गारंटर को यह सूचित करने हेतु सूचना मानी जाए कि यदि बैंक की दिनांक **31–05–2020** तक कुल बकाया **रू. 7,44,17,070.54 (रुपये सात करोड़ चवालीस लाख सत्रह हज़ार और सत्तर और पैसे चौवन मात्र)** की पूर्ण राशि दिनांक **01–06–2020** से ब्याज और अन्य लागतों तथा प्रभारों सहित, बिक्री हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व प्रेषित नहीं की जाती है तो उपरोक्तानुसार सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।

तिथि : 30.06.2019 **स्थान : नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी**

मोस्पी को खत्म करना चाहिए जीडीपी की गणना संबंधी विवाद : रंगराजन

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 29 जून

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) से अपील की कि राष्ट्रीय आमदनी से संबंधित सभी विवादों को खत्म करना चाहिए। उन्हें इस अवसर पर पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएसई) को सरकार को वैधानिक दर्जा देना चाहिए।

14वें सांख्यिकी दिवस पर आयोजित वेबिनार में बोलते हुए रंगराजन ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि हाल के दिनों में डेटा और सांख्यिकी को लेकर उठे विवाद का संतोषजनक अंत होगा।'

यह पूछे जाने पर कि वे किस तरह के विवाद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि वह राष्ट्रीय आयक के अनुमान का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा, 'बड़ा विवाद है और मैं सांख्यिकी दिवस पर लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के आयोजनों का मकसद सांख्यिकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। यही वजह है कि मैंने चल रहे विवादों का संतोषजनक अंत शब्द का इस्तेमाल किया। यह सांख्यिकी विभाग का काम है कि वह सभी संदेहों को लेकर स्थिति साफ करे।'

मोस्पी जब पहले के 2004-05 आधार वर्ष के बाद 2011-12 आधार वर्ष के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना के नए तरीके लेकर आया तब भी आधिकारिक सांख्यिकी की आलोचना हुई थी। यहां तक कि हाल में जारी चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों और 2019-20 के संपूर्ण आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर अर्थशास्त्रियों ने संदेह जताया था।

रंगराजन ने कहा, 'एनएसई को वैधानिक पहचान यथासंभव जल्द से जल्द दी जानी चाहिए।' सांख्यिकी व्यवस्था और डेटा की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए रंगराजन की अध्यक्षता में बनी समिति ने यह सिफारिश की थी।

सांख्यिकी व्यवस्था में सुधार के लिए कर्ज

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व बैंक ने डेटा की गुणवत्ता और देश की सांख्यिकी व्यवस्था में सुधार के लिए कर्ज को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मोस्पी जनरलाइज्ड सर्वे सॉल्यूशन तैयार कर रहा है, जिसे ईसिग्मा नाम दिया जाएगा। इससे मोबाइल उपकरण के माध्यम से आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। यह टेलीफोन से साक्षात्कारों और वेब आधारित इंटरफेस के पूरक का काम करेगा। उन्होंने कहा कि नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा। *बीएस*

बीएस सूडोकू 3780

9	4		2			7	8	
					9	6		
3		6			1		4	
	3		9					4
		8	1				6	9
	9			2	8			5
			8		2		3	
		5		9	4		2	
	8		5		7			

परिणाम संख्या 3779

5	2	1	9	8	4	3	7	6
7	6	4	2	3	1	8	9	5
3	9	8	7	5	6	1	2	4
1	5	6	8	2	9	4	3	7
2	4	7	3	1	5	6	8	9
8	3	9	4	6	7	5	1	2
9	1	3	6	4	2	7	5	8
6	7	5	1	9	8	2	4	3
4	8	2	5	7	3	9	6	1

कैसे खेलें? **आसान**

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें। ★★☆☆☆

अर्थव्यवस्था सुस्त करने में जीएसटी व नोटबंदी अहम

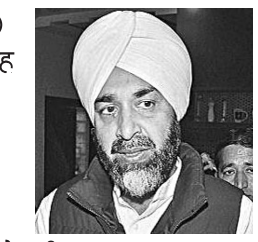

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पिछले 3 साल में जिस तरह से लागू किया गया है, उससे निराश पंजाब के वित्त मंत्री **मनप्रीत सिंह बादल** ने **दिलाशा सेठ** से बातचीत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बदतर कर दरों के अलावा अनुपालन के हिसाब से यह दुनिया की सबसे कठिन कर व्यवस्था है। प्रमुख अंश...

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में अपनी स्वायत्तता को लेकर राज्य सरकारें थोड़ी भयभीत हैं। इस 3 साल के बारे में आपकी क्या राय है?

जीएसटी लागू होने के पहले मैंने कहा था कि जीएसटी न होने से बेहतर है कि किसी तरह का जीएसटी हो। मैं दिल से इस पर विश्वास करता हूं। लेकिन जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया, मैंने अपनी सोच बदल दी है। एक भी समस्या ऐसी नहीं है, जो जीएसटी में न हो। यह नहीं कह रहा कि मैं इसके विरोध में हूं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जो इस समय घाटे में न हो। कोविड के पहले जीएसटी और नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था सुस्त करने में अहम भूमिका निभाई।

आपके मुताबिक जीएसटी को लेकर प्रमुख मसले क्या हैं?

तीन साल बीत गए और अभी भी रिटर्न को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। मुझे लगता है कि अभी इसमें एक साल और लग जाएगा। हमारे यहां दुनिया की सबसे खराब कर दरें हैं। हम एएआर रूलिंग का विपरीत असर देख रहे हैं। एएआर में मामले हारने वाले लोगों की संख्या देखें। गुजरात एएआर रूलिंग में कहा गया है कि जमीन की बिक्री पर कर की देयता है।

जीएसटी में समस्याओं के समाधान पर आपकी क्या सिफारिश है?

पंजाब ने जीएसटी को लेकर करीब 100 सुझाव दिए हैं और उन पर संज्ञान भी नहीं लिया गया। जीएसटी में परिषद के वाइस चेयरमैन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे लागू नहीं किया और राज्यों के बगैर ही एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्या आप कह रहे हैं कि परिषद में वाइस चेयरमैन न होने से राज्यों के मसलों पर उचित ध्यान नहीं है?

जीएसटी सचिवालय काम कर रहा है, ऐसे में राज्यों में से एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए, जो राज्यों के एजेंडे को रख सके। अगर आप हिस्सेदारों की नहीं सुनेंगे तो आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। अनुपालन के हिसाब से यह दुनिया का सबसे कठिन जीएसटी है।

क्या आपको उम्मीद थी कि दो साल में ही मुआवजा व्यवस्था बाधित हो जाएगी?

पंजाब को ज्यादा मुआवजे की जरूरत है क्योंकि हमारा एकचौथाई कर राजस्व खाद्यान्न पर आधारित है, जिसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इससे ढांचागत असर पड़ा है।